दिनांक 09/07/24 को पेश हो।

09/07/24 आज पत्रा. पेश हुई। वकील वादी व प्रति. सं. 01, 03 एवं 05 लगा. 07 उपस्थित हैं पत्रा. में दर. पर वकलाय की बहस सुनी गई। पत्रा. वास्ते आदेश दिनांक 15/07/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
बहरोड़

15/07/24 आज पत्रा. पेश हुई। वकलाय उपस्थित है। पत्रा. मे आदेश नहीं लिखवाये जा सके। पत्रा. वास्ते आदेश दिनांक 22/07/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
बहरोड़
(कोटपूतली-बहरोड़)

22/07/24 आज पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। पक्षकारान के वकलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी 619 रकबा 57 एयर, 758 रकबा 82 एयर, 775 रकबा 75 एयर, वाके ग्राम मांचल मे स्थित है। आराजी मुतनाजा हम पक्षकारान की संयुक्त कब्जे काश्त है, खातेदारी की

सहायक कलक्टर
बहरोड़
(कोटपूतली-बहरोड़)

(कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड़ 10/2024
उनवान :- मनोज कुमार बनाम अशोक मु०न०- 10/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	आराजी है जिस आराजी का प्रार्थीगण मौरूस एंड बांड ... पर बंटवारा करवाना चाहते हैं। इस संबंध में अप्रार्थीगण से बात करने पर ... संतोषप्रद जवाब नहीं दिया अतः तकासमा किये जाने से किसी पक्ष का कोई अहित नहीं होगा बल्कि सुविधा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि आराजी मुतनाजा का राजस्व रिकार्ड में भी बंटवारा हो जावे। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अक्खड़ व मुंहजोर किस्म के व्यक्ति हैं जो जबरन रूप से संपूर्ण आराजी मुतनाजा पर कब्जा करना चाहते हैं जबकि उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं है, इस कारण सामूहिक में काश्त करना संभव नहीं रहा है दि० 02/02/2024 को प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण ने तकासमा के लिए कहने पर साफ मना कर दिया, इसलिए आराजी मुतनाजा का इस प्रकार बंटवारा किया जावे कि प्रत्येक खातेदार को प्रत्येक खसरा नम्बर में से अच्छे में से अच्छी व बुरे में से बुरी आराजी मिल सके, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं रहे। आराजी मुतनाजा का विधिवत तकासमा किया जाकर पक्षकारान को खातेदार घोषित किया जाना न्यायसंगत है। अप्रार्थी संख्या 01 लगा० 07 आराजी मुतनाजा के अच्छे अच्छे हिस्से को बिना तकसीम करवाये ही अन्यत्र बेचान करने की फिराक में है, अगर अप्रार्थीगण आराजी को बिना तकासमा करवाये ही बेचान कर देंगे तो बहुवादिता बढ़ेगी व हम प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को इस आशय की हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वो आराजी मुतनाजा को दिगर जगह जब तक विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता जब तक रहन बय हिबा मुंतकिल नहीं करे कोई	

सहायक कलक्टर
बहरोड़
(कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड़
उनवान :- मनोज कुमार बनाम अशोक मु०न० 10/2024

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे, रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे। साथ ही आराजी मुतनाजा से संबंधित दस्तावेजों को तस्दीक व पंजीबद्ध अप्रार्थी नं. 01 करते हैं ऐसी स्थिति में प्रतिवादी/अप्रार्थी नं. 01 को भी पाबंद किया जावे कि वो आराजी मुतनाजा के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई मुंतकिली दस्तावेज पेश करने पर उसे तस्दीक व पंजीबद्ध नहीं करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 01, 03 व 05 लगा० 07 ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया है कि उपरोक्त दावा प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया है जो कतई मिथ्या व मनमाने तथ्यों के आधार पर वास्तविक सभी तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जिसमे कामयाबी की कोई सूरत नहीं है जो हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है। आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की हक व हिस्से की आराजी है परन्तु हाल जमाबन्दीयात में पार्वती पत्नि रामावतार, कैलाशा देवी पत्नि महेश, महेश पुत्र रामावतार व बालकिशन पुत्र रामावतार फौत हो चुके हैं जिनकी विरासत आईतकाल आज तक दर्ज नहीं हुआ है इसके अतिरिक्त महेश व कैलाशा देवी के प्रार्थीगण अपने आपको वारिसान होना दर्शित किया है जो गलत है प्रार्थीगण ने मृतक महेश व कैलाशा देवी के वारिसान होने की बाबत कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं की है इसके अतिरिक्त कैलाशा देवी के वारिसान प्रतिवादीगण हैं व बालकिशन लावल्द फौत हुआ है जिसके वारिसान की बाबत भी प्रार्थीगण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिस	

(कोटपूतली-बहरोड़)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सूरत मे प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। हम अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा मे अपने हक व हिस्से की आराजी पर मुताबिक बाहमी बटवारा मौके पर काबिज है व आराजी मुतनाजा पक्षकारान के दरम्यान उनके बुजुर्गान के समय से ही बाहमी तौर पर बटी हुयी आराजी है जो प्रार्थीगण आराजी मुतनाजा को पुन: तकसीम करवाने के अधिकारी नही है व आराजी मुतनाजा को मुताबिक बाहमी बटवारा व मौके के मुताबिक पक्षकारान के दरम्यान तकसीम किये जाने की सूरत मे हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण ने वास्तविक सही तथ्यो को छुपाकर बिना दस्तावेजी साक्ष्य बाबत वारिसान पेश किये बेग तथ्यो के आधार पर दावा व दरख्वास्त दायर किये है जो हर सूरत मे खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थीगण के हक कोई किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन नहीं बनता है व नाही नापूर्ति होने वाली क्षति ही होती है बल्कि प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के हक मे बखूबी साबित है व यदि इस बेना प्रार्थना पत्र के आधार पर हम अप्रार्थीगण के खिलाफ हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा जारी कर दिया गया तो नापूर्ति होने वाली क्षति हमे होगी जिस सूरत मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी सं. 02 व 04 के रजिस्टर्ड नोटिस लिफाफे लौटकर आये है जिनकी पुन: तामील करवाने पर कोई उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी सं. 01, 03 व 05 लगा. 07 के अधिवक्ता को भारी आपत्ति होने के कारण बहस करना चाहा। हमने प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 01, 03 व 05 लगा. 07 के	

सहायक कलक्टर
बहरोड
(कोटपूतली-बहरोड)

न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड
उन्वान - मनोज कुमार बनाम अशोक कुमार 10/2024

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बकलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वर्तमान में हम प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्तकारी अधि. 1955 का निर्णय कर रहे है। अन्य सभी बिन्दुओ पर वाद पत्र के निर्णय के समय विस्तार से विवेचन किया जावेगा। प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्त. अधि. के निर्णय मे तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का बिन्दु तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन करना होता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण जमाबन्दी संवत 2073-76 बाबत ग्राम मांचल, रिवाली तहसील बहरोड मे आराजी खसरा नम्बर 619, 758, व 775 सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी मुतनाजा पक्षकारान के दरम्यान उनके बुजुर्गान के समय से ही बाहमी तौर पर बटी हुई आराजी है। जिस सूरत मे अप्रार्थीगण को उनकी सह खातेदार आराजी के लिए पाबंद नहीं किया जा सकता है उनका आराजी मुतनाजा पर सह काश्त बह, किब्जा करने के अधिकारी है। जिस सूरत मे प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध नही होता है। अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने से उनके विधिक अधिकार प्रभावित हो सकते है। अप्रार्थीगण को भारी आर्थिक हानि होने की पूर्ण संभावना है। अत: सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष मे पाया जाता है। हम राजस्व अभिलेख मे दर्ज खातेदारान को पाबंद किया जाना विधिक नहीं मानते है जिस सूरत मे प्रार्थीगण का यह प्रार्थना	

सहायक कलक्टर
बहरोड
(कोटपूतली-बहरोड)

न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड़

उनवान:- मनोज बनाम अशोक मु०न० 10/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जा
	पत्र खारिज किया जाने योग्य है। अत: प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र बाबत आराजी खसरा नम्बर 619, 758, 774 वाके ग्राम मांचल, तहसील बहरोड़ अस्वीकार होने योग्य पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है। दिनांक 09/02/24 को जारी एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद आवश्यक पूर्ति संलग्न बाद-पत्र रहे। सहायक कलेक्टर बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)	